पत्रांक –3 /एम0–22/2021 सा०प्र०....9831..../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

एम0 एस0 अंसारी
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

श्री नीतीश मिश्रा
सदस्य, बिहार विधान सभा सदस्य
112, कौटिल्य नगर,
पटना–800014, बिहार।

पटना–15, दिनांक....2/9/....2021

विषयः– जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्रवाई की जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्र Ref–252/2021 दिनांक–27.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्रवाई की जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर एक एड़वाईजरी निर्गत करने एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है।

3. विदित हो कि आपके द्वारा किये गये अनुरोध के संदर्भ में संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक–183 दिनांक–19.02.2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8841 दिनांक–20.06.2012 द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश पूर्व से ही निर्गत है।

4. संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या–183 दिनांक–19.02.2021 में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त कंडिका–3(viii) में उल्लिखित है कि–

"संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के पत्रों की पावती तत्परता से अवश्य दी जानी चाहिए तथा कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के संगत उपबन्धों के अनुसार जवाब समुचित स्तर पर शीघ्रता से भेजे जाने चाहिए।"

5. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या–8841 दिनांक–20.06.2012 में भी अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त कंडिका–6 में यह उल्लेख किया गया है कि–

(i) *संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री से अनुरोध करना चाहिए। तथापि, यदि संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा विभागाध्यक्षों अथवा जिला के अधिकारियों से सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु सीधे पत्राचार किया जाता है, तो ऐसे पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपने विभाग से संबंधित ऐसी सूचना, जिसे दिया जाना उनके प्राधिकार में हो, लिखित रूप में शीघ्रता से उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए।*

(ii) *सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजते हुए उन्हें एक अंतरिम उत्तर तत्काल दिया जाना चाहिए।*

6. उल्लेखनीय है कि हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में मुख्य सचिव का पत्रांक–523 दिनांक–27.07.2021 द्वारा प्रासंगिक विषय पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व से निर्गत दिशा–निर्देशों को पुनः परिचारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है।

7. उपर्युक्त कंडिका–3, 4, 5 एवं 6 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके विचाराधीन पत्र में किये गये अनुरोध के संदर्भ में सरकार द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश पूर्व से ही निर्गत है।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,

(एम0 एस0 अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 252/2021
Dt-27-7-2021

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–**जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर एक Advisory निर्गत कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

महाशय,

यह सर्व विदित है कि राज्य में जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि क्षेत्र भ्रमण अथवा अन्य माध्यम से जनता की समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन अथवा विभिन्न विभागों को पत्र एवं अन्य माध्यमों से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाय।

जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इस क्रम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन को अथवा सरकार के पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर जनसमस्या से अवगत कराते हैं अथवा सुझाव देते हैं, किन्तु महीनों बीत जाने के बावजूद उन समस्याओं का निस्तारण तो दूर की बात है, पत्र पावती की सूचना भी प्रेषित नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में जन समस्याओं के निराकरण हेतु किये गये कार्य की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधि जनता को समुचित उत्तर उपलब्ध कराने में अपने आपको असमर्थ महसूस करते हैं।

भारत सरकार के सभी मंत्रालय में ऐसी व्यवस्था है कि देश के विभिन्न राज्यों के भी जनप्रतिनिधि अगर पत्र व्यवहार करते है तो उसका प्रत्युत्तर अवश्य देते है।

अतः अनुरोध है कि जनप्रतिनिधियों की भावना को देखते हुये पत्र प्राप्ति की सूचना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर एक **Advisory** निर्गत कराने एवं उनके अनुपालन के संबंध में गाइड लाईन जारी करने हेतु समुचित विचार करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 27-7-21

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in